



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223838
CG-DL-E-21122020-223838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4068]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/अग्रहायण 30, 1942

No. 4068]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4631(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिहार राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी-गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर

दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, खगरिया जिला, बिहार राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

बरौनी-गुवाहाटी पाईपलाइन प्रोजेक्ट

(बी0 जी0 पी0 एल0)

अनुसूची

राज्य: बिहार

जिला	अंचल	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल
					हेक्टेअर –आर–वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
खगड़िया	गोगरी	बलतारा	159	700	00 15 65
				689	00 00 46
				690	00 20 02
				679	00 01 50
				678	00 07 18
				668	00 05 95
				667	00 04 88
				666	00 00 18
				670	00 00 04
				671	00 00 86
				664	00 08 57
				665	00 00 76
				663	00 06 14
				648	00 12 35
				649	00 00 49
				661/2359	00 06 26
				661	00 06 02
				660	00 00 05
				682	00 02 29
				RIVER	00 36 43
				ROAD	00 06 58
				1873	00 01 76
				1874	00 08 84
				1870	00 07 28
				1875	00 15 11
				1876	00 07 61

	1877	00 03 45
	1837	00 00 08
	1836	00 04 40
	1835	00 14 60
	1841	00 00 04
	1833	00 09 21
	1832	00 12 26
	1834	00 00 46
	1818	00 08 63
	1817	00 03 47
	1819	00 20 57
	1820	00 04 07
	1815	00 00 25
	1814	00 07 50
	1813	00 01 92
	1888	00 06 21
	1812	00 00 38
	1889	00 10 36
	1892	00 02 04
	1943	00 27 26
	2081	00 21 04
	1751	00 03 35
	2080	00 14 70
	2095	00 11 23
	2100	00 14 12
	2098	00 02 56
	2099	00 10 15
	2109	00 48 45

[फा. सं. एल-14014/57/2020-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4631(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Barauni-Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of Bihar, a Pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, Khagaria District, State of Bihar.

**BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT
BGPL**

SCHEDULE

State : BIHAR

District	Block	Village	J.L. No.	Survey No.	Area
					Hect Are Sq.mt.
1	2	3	4	5	6
KHAGDIYA	GOGARI	BALTARA	159	700	00 15 65
				689	00 00 46
				690	00 20 02
				679	00 01 50
				678	00 07 18
				668	00 05 95
				667	00 04 88
				666	00 00 18
				670	00 00 04
				671	00 00 86
				664	00 08 57
				665	00 00 76
				663	00 06 14
				648	00 12 35
				649	00 00 49
				661/2359	00 06 26

	661	00 06 02
	660	00 00 05
	682	00 02 29
	RIVER	00 36 43
	ROAD	00 06 58
	1873	00 01 76
	1874	00 08 84
	1870	00 07 28
	1875	00 15 11
	1876	00 07 61
	1877	00 03 45
	1837	00 00 08
	1836	00 04 40
	1835	00 14 60
	1841	00 00 04
	1833	00 09 21
	1832	00 12 26
	1834	00 00 46
	1818	00 08 63
	1817	00 03 47
	1819	00 20 57
	1820	00 04 07
	1815	00 00 25
	1814	00 07 50
	1813	00 01 92
	1888	00 06 21
	1812	00 00 38
	1889	00 10 36
	1892	00 02 04
	1943	00 27 26
	2081	00 21 04
	1751	00 03 35
	2080	00 14 70
	2095	00 11 23
	2100	00 14 12

	2098	00 02 56
	2099	00 10 15
	2109	00 48 45

[F. No. L-14014/57/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.